उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या–12/2025

मंजूर हसन पार्टनर मेसर्स श्री दुर्गा कोक कम्पनी बनाम् जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़।

C.C. Issued 18/08/25

C.C. Issued 06/08/25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
29/07/25	–:: आदेश ::–	

इस वाद की कार्यवाही मंजूर हसन पार्टनर मेसर्स श्री दुर्गा कोक कम्पनी, ग्राम–भरेचनगर साण्डी, पो०–भरेचनगर साण्डी, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक–47/खनन, दिनांक–16.01.2025 के विरूद्ध U/s-14 of Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rule-2017 के तहत दायर आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया। वाद को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पत्रांक–547/खनन, दिनांक–29.04.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी मेसर्स श्री दुर्गा कोक कंपनी का साझेदार है, जिसका संयंत्र थाना–माण्डू, भरेचनगर सांडी, जिला–रामगढ़ में स्थित है, जो हार्ड कोक के निर्माण का कार्य करता है। अपीलार्थी को झारखण्ड सरकार के खनन विभाग द्वारा मेसर्स श्री दुर्गा कोक कंपनी के नाम से विक्रेता पंजीकरण संख्या–J030912865 प्रदान किया गया है। लाइसेंस जारी करने से पहले अपीलार्थी ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–25(1)(बी)/25(1)(सी) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–21(1) के तहत झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची द्वारा सी०टी०ओ० पंजीकरण प्रदान किया है और यह दिनांक–30.09.2024 तक वैध है और सी०टी०ओ० की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अर्थात श्री दुर्गा कोक संचालन हेतु सहमति पंजीकरण की अवधि को बोर्ड द्वारा दिनांक–30.09.2027 तक नवीनीकृत कर दिया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ ने अपने पत्र संख्या–1152/खनन, दिनांक–19.10.2024 के माध्यम से मेसर्स श्री दुर्गा कोक कंपनी को एक नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी के उद्योग का सी०टी०ओ० की अवधि दिनांक–31.03.2023 तक वैध था, आपके द्वारा शर्त संख्या–S(iii) का उल्लंघन किया है। कारखाने के विरूद्ध माण्डू थाना काण्ड संख्या–10/19 के तहत एक

प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। उपर्युक्त अनियमितताओं के आधार पर अपीलार्थी का डीलर लाइसेंस संख्या–J030912865 निलंबित करते हुए दिनांक–19.10.2024 को जारी नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपीलार्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पत्र संख्या–47 / खनन, दिनांक–16.01.2025 के माध्यम से पत्र संख्या–1152 / खनन, दिनांक–19.10.2024 द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को प्रस्तुत नहीं करने के कारण खनिज डीलर पंजीकरण लाइसेंस, पंजीकरण संख्या–J030912865 को झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम–2017 के नियम संख्या–8(iii) के उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा झारखण्ड खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम–2017 का पालन किए बिना और अपीलार्थी के लाइसेंस के अभिलेख की तथ्यात्मक स्थिति की जाँच किए बिना, अपीलार्थी के खनिज विक्रेता लाइसेंस को गलत और अवैध रूप से निलंबित / समाप्त कर दिया है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ ने अपीलार्थी का लाइसेंस निलंबित और समाप्त कर दिया है, संबंधी पहला कारण सी०टी०ओ० पंजीकरण दिनांक–31.03.2023 को समाप्त हो गया था और दूसरा अपीलार्थी के खिलाफ कोयले के अवैध परिवहन के लिए माण्डू थाना काण्ड संख्या–10 / 19 के तहत एक एफ०आई०आर० दर्ज होना बताई जा रही है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा खनिज डीलर लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण हेतु दिया गया दूसरा आधार यह है कि अपीलार्थी के विरुद्ध खनिज चालान का दुरुपयोग करके खुले बाजार में कोयले के अवैध परिवहन का मामला दर्ज किया गया था। दलील यह है कि मेसर्स श्री दुर्गा कोक कंपनी के विरुद्ध वास्तव में मामला दर्ज नहीं किया गया था। मेसर्स श्री दुर्गा कोक कंपनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्राथमिकी की जानकारी नहीं है। डीलर पंजीकरण लाइसेंस की समाप्ति का तीसरा आधार जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा उठाया गया है कि अपीलार्थी डीलर से नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपीलार्थी को स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि नोटिस प्राप्त होने के बाद भी नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन तथ्य यह है कि नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद अपीलार्थी जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ और उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए दिनांक–06.11.2024 को समय हेतु आवेदन दायर की और उक्त आवेदन जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विधिवत प्राप्त कर ली गई। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, अपीलार्थी द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को एक आवेदन प्रस्तुत की गई, लेकिन अपीलार्थी की स्पष्टीकरण पर गौर किए बिना ही डीलर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के आलोक में अपीलार्थी के विद्व अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ द्वारा पत्रांक–547/खनन, दिनांक–29.04.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए पत्रांक–1152/खनन, दिनांक–19.10.2024 एवं पत्रांक–47/खनन, दिनांक–16.01.2025 की प्रति उपलब्ध कराया गया है। जो कि अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में पूर्व से संलग्न करते हुए अपील आवेदन दायर किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ का पत्रांक–1152/खनन, दिनांक–19.10.2024 एवं पत्रांक–47/खनन, दिनांक–16.01.2025 के विरूद्ध U/s-14 of Jharkhand Minerals (Preventation of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rule-2017 के तहत यह अपील आवेदन दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण राँची बोर्ड द्वारा जारी सी०टी०ओ० पंजीकरण, प्रारंभ में दिनांक–30.09.2024 की अवधि के लिए वैध था और उसके बाद सी०टी०ओ० पंजीकरण की वैधता दिनांक–30.09.2027 तक नवीनीकृत कर दी गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ द्वारा तथ्यों की जाँच किए बिना आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ द्वारा तथ्यों व वास्तविक कागजातों की जाँच किए बिना ही आदेश पारित किया गया है। जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत/प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल प्रतीत होता है।

अतः दायर आवेदन के आलोक में वर्णित तथ्यों की पुनः जाँच कर निर्णय लिए जाने हुए आवेदन निम्न न्यायालय को Remand किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षकारो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए तार्किक व मुखर आदेश पारित करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ को भेजे।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त

Digitally signed by Faiz Aq Ahmed Mumtaz
Date: 2025.08.26 12:20:51 +05:30
Location: 192.168.0.200

Scanned with OKEN Scanner